(b) the main reasons for the shortfall and its impact on the overall food situation;

(c) the quantity of foodgrains purchased by the Food Corporation of India;

(d) whether it is a fact that some surplus States refused permission to the Food Corporation of India to purchase foodgrains; and

(e) if so, the reasons therefor and names of the States which refused permission?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). No definite targets were set for purchases by the Food Corporation of India in the year 1966-67 and therefore, the question of short-fall or the reasons for shortfall do not arise.

(c) As against the purchases of 11.67 lakhs tonnes of foodgrains in the Crop-Year 1965-66, the Food Corporation has already purchased 13.3 lakh tonnes upto 31st May 1967 in the Crop-Year 1966-67.

(d) No, Sir. In all the surplus States the Food Corporation is making some purchases of foodgrains

(e) Does not arise

Food Corporation of India

*473. **Shri Chittaranjan Roy**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Food Corporation of India has asked for 'free-hand' in purchasing wheat from the States; and

(b) if so, the measures Government propose to take in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) No, Sir. The role of Food Corporation of India in the purchase of wheat as also other foodgrains in the States is settled by discussions between the State Governments and the Corporation. The Corporation undertakes these purchases in accordance with the decision arrived at after such discussions.

(b) Does not arise.

बिहार को खाद्यान्न की सप्लाई

*474. **श्री क० मि० मधुकर**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में मुफ्त बांटने के लिये प्रति मास कितने खाद्यान्न की आवश्यकता है;

(ख) जितना खाद्यान्न सप्लाई किया जाता है, क्या वह बिहार सरकार की मांग पूरी करने के लिये पर्याप्त है,

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस मात्रा को बढ़ाने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे): (क) से (घ): राज्य सरकार द्वारा केन्द्र को पेश की गयी मांग केवल इसकी खाद्यान्नों की कुल आवश्यकता का द्योतक है । मुफ्त वितरण के लिए किसी पृथक कोटे की मांग नहीं की गई है । अतः केन्द्र को मुफ्त वितरण के लिए खाद्यान्नों की मासिक आवश्यकता की जानकारी नहीं है । बिहार को सप्लाई की गई खाद्यान्नों की कुल मात्रा वहां की आवश्यकता को देखते हुए पर्याप्त नहीं कही जा सकती है । अन्य कमी वाले राज्यों की न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र द्वारा अपनी उपलब्धि के अन्दर जो कुछ भी बिहार को दिया गया है वह उसकी अधिकतम सप्लाई का ही सूचक है । सप्लाई की मात्रा में वृद्धि करना तब तक सम्भव नहीं होगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार के स्टाक में वृद्धि नहीं होती ।

Delhi Milk Scheme

*475. **Shri Onkar Lal Berwa:**
Shri Yashpal Singh:
Shri S. C. Samanta:
Shri S. N. Maiti:
Shri Tridib Kumar Chaudhuri:
Shri A. K. Kisku:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Delhi Milk Scheme is running at a

loss and is unable to meet the demand of the public;

(b) whether Government are considering any proposal to give some subsidy to the Delhi Milk Scheme; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) The Delhi Milk Scheme worked at a loss upto 1965-66. In 1966-67, the accounts for which are under finalisation, a marginal profit is expected The Delhi Milk Scheme is handling only about 2.16 lakh litres of milk as against an estimated requirement of 5 00 lakh litres in the city It is unable to meet the entire requirement of the city due to shortage in procurement of milk

(b) Delhi Milk Scheme is a department of the Government of India The loss resulting on the working of the Scheme, is, therefore, borne by the Government of India There is no question of giving some subsidy to D.M S

(c) Does not arise

दिल्ली में दूध और खोये से तैयार होने वाली मिठाइयों पर प्रतिबन्ध

*476. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री आ० सुन्दर लाल :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री वी० बं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में दूध की कमी के कारण दूध और खोये से तैयार होने वाली मिठाइयों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके परिणामस्वरूप अनेक लोग बेरोजगार कर दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो दूध की कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) . (क) जी हां ।

(ख) प्रतिबन्ध अगस्त 1967 के अन्त तक रहेगा । बाद में दूध से बनी मिठाई-व्यापार से सबंधित लोग दूध से बनी मिठाई को छोड कर अन्य मिठाइया बेच सकते हैं । इस प्रकार इस आदेश से उत्पन्न बेकारी की स्थिति में सुधार हो जायेगा ।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना ने दूध की उपलब्धि को बढाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं —

(1) दूध सप्लाई करने वालो के साथ फर्म के अनुबन्ध हुए है जिनके अनुसार यदि विभिन्न मौसमो में दूध की स्वीकृत मात्रा की सप्लाई न हुई तो 5 रुपये प्रति विन्टल के हिसाब से जुर्माना होगा ।

(2) दूध सप्लाई करने वालो के कमीशन का दर जनवरी 1967 से बढा दिया गया है ।

(3) योजना का उपलब्धि क्षेत्र बढा दिया गया है । करनाल से लगभग 20 मील दूर हरियाणा मे दूध की विभागीय उपलब्धि के लिए एक नया उपलब्धि क्षेत्र ले लिया गया है ।